न्यायालय तहसीलदार, मण्डावा जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र
आर.टी.एस.

मु.न. 50 / 2022

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी महरादासी

बनाम

रामचन्द्र पुत्र दुर्गाराम जाति मीणा निवासी बाजीदसर तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं
—— अप्रार्थी

——

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

——

आदेश

दिनांक 28.12.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का महरादासी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की ग्राम बाजीदसर के भूमि ख0न0 123 रकबा 1.67 है0 किस्म गैर मुमकीन चारागाह में से 0.08 हैक्टर भूमि पर रामचन्द्र पुत्र दुर्गाराम जाति मीणा निवासी बाजीदसर तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं ने पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस से तलब किया गया। गैरसायल को नोटिस बाद तामिल प्राप्त । गैरसायल उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बाजीदसर भूमि खसर न0 123 रकबा 1.67 हैक्टयर में मेरा कब्जा पिछले 40 वर्षो से है। ग्राम पंचायत महरादासी द्वारा पट्‌टा जारी किया गया है। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत पट्‌टे की जांच पटवारी हल्का महरादासी से करवाई गई। पटवारी हल्का महरादासी की रिपोर्ट दिनांक 08.03.2023 के अनुसार गैरसायल ने अपनी भूमि के स्वामित्व हेतु पटटे की प्रतिलिपि संलग्न की गई है। संलग्न प्रतिलिपि से यह साबित नहीं किया जा सकता की उक्त पटटा कौनसी भूमि का हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली किया। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन चारागाह है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में कोई व्यक्ति राजकीय भूमि किस्म गै0मु0 चारागाह / जोहड़ पर अतिक्रमण नही कर सकता है। चूंकि भूमि गैर मुमकिन चारागाह हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132/2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं। अतः गैरसायलान को वादगस्त आराजी भूमि ख0न0 123 रकबा 1.67 है0 किस्म गैर मुमकीन चारागाह में से 0.08 हैक्टर से अतिक्रमी घोषित किया जाकर आदेश बेदखली का पारीत किया जाता है। पेनेल्टी स्वरूप लगान का 50 गुणा से 24 / –रूपये बतौर जुर्माना की शास्ति की जाती है। पटवारी हल्का को पनेल्टी वसूली हेतु लिखा जावें। तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी कराई जावें। गिरदावर हल्का व पटवारी ह[illegible] चारागाह पर पुख्ता मकान को तुरन्त हटवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायलय में प्रस्[illegible]सायल को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर रिपोर्ट प्रेषित करें। [illegible] हो। बाद तकमील जाप्ता पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2023 को खुले [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.25 16:42:24 IST
Reason: SelfAttested

28.12.23
(सुभाष चन्द्र)
तहसीलदार मंडावा

तहसीलदार मण्डावा
जिला झुंझुनूं

सन्दे 4 के पृष्ठ संख्या 8 पर राशि 24 रू वर्ष 23-24 में मांग कायम की गयी।
तहसील राजस्व लेखाकार